न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर, जिला नागौर (राज.)

पीठासीन अधिकारी – श्री चम्पालाल जीनगर, आर0ए0एस0

पंचायत निगरानी संख्या : 55 / 2023

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1 हेमलता पुत्री मदनलाल पत्नी राजेन्द्र जाति सेवग ब्राह्मण 2 पुजा पुत्री मदनलाल पत्नी दिलीप जाति सेवग ब्राह्मण निवासीगण सेवगो का मौहल्ला खींवसर तहसील खींवसर जिला नागौर।		1 राजेन्द्र पुत्र रामेश्वरलाल जाति सेवग ब्राह्मण। 2 गोपाल पुत्र रामेश्वरलाल जाति सेवग ब्राह्मण। 3 रामपाल पुत्र रामेश्वरलाल जाति सेवग ब्राह्मण। निवासीगण खींवसर तहसील खींवसर जिला नागौर । 4 प्रेमलता पुत्री रामेश्वरलाल पत्नी विष्णु जाति सेवग ब्राह्मण। 5 संतोष पुत्री रामेवरलाल पत्नी बुधराज जाति सेवग ब्राह्मण निवासीगण सेवगों का मोहल्ला, खींवसर हाल निवासी मेडता रोड तहसील मेडता। 6 सरंपच ग्राम पंचायत खींवसर। 7 ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत खींवसर।

उपस्थिति–

1 श्री बाबूलाल खोजा अधिवक्ता, प्रार्थीगण की ओर से।

2 श्री शफीक खिलजी, अधिवक्ता, अप्रार्थी संख्या 01 से 05 की ओर से।

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायतराज अधिनियम 1994

निर्णय

दिनांक 01.07.2025

1– प्रकरण इस प्रकार है कि निगरानी राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत खींवसर द्वारा मिसल संख्या 1/1970–71, पटटा संख्या 33 जारी किया गया, से असंतुष्ट होकर दिनांक 20.07.23 को प्रस्तुत की गई। प्रार्थी की निगरानी दिनांक 27.07.23 को दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से 05 की ओर से श्री शफीक खिलजी, अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी संख्या 06 व 07 बावजूद सूचना के न्यायालय में अनुपस्थित रहे। प्रार्थीगण ने अपनी निगरानी के समर्थन में ग्राम पंचायत खींवसर का पटटा संख्या 33 की फोटोप्रति, ग्राम पंचायत खींवसर के पत्र दिनांक 03.07.23 की फोटोप्रति, फ़ोटो–1, विद्युत बिल की फोटोप्रति, पानी के बिल की फोटोप्रति, मुन्नी के मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटोप्रति, नोटिस दिनांक 02.06.23 की फोटोप्रति तथा अप्रार्थी संख्या 01 से 05 ने पॉवर ऑफ अटोर्नी दिनांक 01.06.23 की फोटोप्रति, पट्टा संख्या 33 की फोटोप्रति, अति. जिला एवं सेशन न्यायाधीश नागौर के प्रकरण राजेन्द्र बनाम हेमलता के फर्दअहकाम दिनांक 18.08.23 से 16.02.24 तक की फोटोप्रति, न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश प्रथम नागौर में प्रस्तुत वाद की फोटोप्रति, न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश संख्या 1 नागौर में प्रस्तुत जवाब दावे की फोटोप्रति, न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश संख्या 1 नागौर के प्रकरण राजेन्द्र बनाम हेमलता के फर्दअहकाम दिनांक 18.08.23 से 03.03.25 तक की फोटोप्रति, इकरारनामे की फोटोप्रति, नोटिस दिनांक 02.06.23 की फोटोप्रति, रजिस्ट्री रसीद की ट्रेक रिपोर्ट की फोटोप्रति पेश की। अधीनस्थ न्यायालय का रिकोर्ड मंगाया गया।

2– उभयपक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने निगरानी में वर्णित तथ्यों को दुहराते हुए दलील दी कि –

2(1)– उक्त मकान निगरानीकर्ता के माता–पिता के व उसके बाद निगरानीकर्ता के स्वामित्व का व उपयोग व उपभोग का रहता चला आया है। जिस पर स्वामित्व व उपयोग व उपभोग पिछले करीब 50–55 सालों से

01/7/25

अपर कलक्टर, नागौर

लगातार बेरोक–टोक रहता चला आ रहा है। लेकिन अप्रार्थीगण या उनके पिता ने निगरानीकर्ता की पुश्तैनी सम्पति को हडपने की नियत से फर्जी व कुटरचित पटटा जारी करवाया गया था या खुद के द्वारा ही फर्जी बनाया गया, जो स्वतः निरस्त किये जाने योग्य है।

2(2)–विवादित पटटा किस दिनांक को जारी किया गया तारीख का कोई उल्लेख नहीं है तथा पटटा में अधिकतर कॉलम खाली है और पटटा जारी करने की कोई पत्रावली ग्राम पंचायत खींवसर में नहीं है जो दस्तावेजी साक्ष्य से साबित होता है तथा पटटा में किसी पटटाधारी का नाम का अंकन भी स्पष्ट नहीं है और ग्राम पंचायत द्वारा जारी की गई नकल पटटा व नोटिस के साथ भेजी गई पटटा की फोटो प्रति भिन्न भिन्न है। जिससे स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण ने निगरीकर्ता को स्वामित्व के पुश्तैनी मकान से बेदखल करना चाहते है, ऐसी स्थिति में पटटा कानूनी रूप से निरस्त होने योग्य है।

2(3)– ग्राम पंचायत, खींवसर द्वारा जारी किया गया पत्र क्रमांक/ग्रा.पं. खींवसर/2023/149 दिनांक 03.07.2023 से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत में विवादित पटटा जारी करने के संबंध में कोई पत्रावली मौजूद नहीं है, जिससे स्पष्ट होता है कि ग्राम पंचायत ने जो पटटा जारी किया गया है वो पटटा पंचायत राज अधिनियम की प्रक्रिया अपनाये बिना व प्रावधानों के विपरित जाकर पंचायत राज अधिनियम की धारा 145 से 149 की बिना कोई पालना किये ही बनाया गया है, जो कानूनी रूप से निरस्त किये जाने योग्य है। कानून की निगाह में ऐसे पटटे की कोई मान्यता नहीं होती है।

2(4)– उक्त मकान निगरानीकर्ता व उनके माता पिता के स्वामित्व व उपयोग व उपभोग का रहता चला आया। जिस मकान में करीब 40 साल पहले निगरानीकर्ता की माता मुन्नी देवी के नाम विद्युत कनेक्शन व पानी का कनेक्शन ले रखा है। जिस कनेक्शन के समय ग्राम पंचायत ने उक्त मकान मुन्नी देवी के स्वामित्व का व कब्जा का होने का प्रमाण पत्र जारी किया था और अप्रार्थीगण के पिता रामेश्वरलाल ने भी सहमति दी थी कि उक्त मकान मुन्नी देवी के स्वामित्व का व उपयोग व उपभोग का है। जिसमें विद्युत व पानी का कनेक्शन लिया जाता तो कोई आपति नहीं है। ऐसी स्थिति में स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण ने उक्त मकान को हडपने की नियत से फर्जी व कुटरचित पटटा जारी करवाया गया। अप्रार्थीगण का कोई स्वामित्व व हक नहीं था और न है। लेकिन निगरानीकर्ता की सम्पति को हडपने की नियत से फर्जी पटटा बनाया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है।

2(5)–अप्रार्थीगण ने निगरानीकर्ता की सम्पति को हडपने की नियत से वर्तमान ग्राम पंचायत से मिलीभगत करके एवं फर्जी व कुटरचित पटटा जारी करवाया गया है और पत्रावली भी ग्राम पंचायत में नहीं है। जो ग्राम पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी द्वारा लिखित में दिया गया है। उक्त मकान पर कब्जा निगरानीकर्ता व उनकी माता पिता का होना अप्रार्थीगण स्वयं ने लिखित में स्वीकार किया गया है तथा उक्त मकान मुन्नी देवी को लाईसेन्स पर दिया हुआ होना किसी भी तरह से साबित नहीं है ऐसी स्थिति में जैर निगरानी पटटा स्वतः ही निरस्त किये जाने योग्य है।

2(6)–पंचायत राज अधिनियम के अनुसार निगरानी के लिए कोई समय सीमा नहीं है। फिर भी निगरानीकर्ता को फर्जी व कुटरचित पटटा की जानकारी होने पर व नकले मिलने पर जानकारी अन्दर मियाद निगरानी पेश है तथा अपने कथन के समर्थन में डीएनजे राज 2009(2) पेज 982 से 984, डीएनजे राज 2015(2) पेज 595 से 599, डीएनजे राज 2005(2) पेज 963 से 966, डीएनजे 2013 (1) पेज 177 से 181 तथा डीएनजे राज 2010(3) पेज 1147 से 1151 तक नजीरे पेश की।

3– वकील अप्रार्थी संख्या 01 से 05 ने अपनी बहस में बताया कि भारतीय परिसीमा अधिनियम 1963 में स्पष्ट उल्लेखित है कि जहां विधि अंतर्गत कोई परिसीमा उल्लेखित नही हो, वहां मयाद 3 वर्ष मानी जावेगी, इस प्रकार उक्त निगरानी 54 वर्ष पश्चात मियाद बाहर पेश की है, जो खारिज किये जाने योग्य है। ग्राम पंचायत ने पट्टा जारी करते समय राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के नियमों की पूर्णतः पालना की है। निगरानीकर्ता ने विधि सम्मत पट्टे को नियम व विधि विरूद्व होने के मिथ्या अभिवचन दर्ज किये है। ग्राम पंचायत ने उक्त पट्टा विधि अनुसार जारी किया है, जिससे निगरानी सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है तथा अपने कथन के समर्थन में डीएनजे राज 2012(1) पेज 506 से 508 तक, डीएनजे राज 2011(3) पेज 1286 से 1288 तथा डीएनजे राज 2012(2) पेज 602 से 607 तक नजीरे पेश की।

01/7/25

अपर कलक्टर, नागौर

4– पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी द्वारा निगरानी राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत खींवसर द्वारा मिसल संख्या 1/1970–71, पटटा संख्या 33, को निरस्त किये जाने को लेकर प्रस्तुत की गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि निगरानीकर्ता ने उक्त निगरानी पट्टा जारी होने के 54 वर्ष पश्चात पेश की है, जिसमें देरी का कोई उचित कारण भी नहीं बताया है। पट्टे के अवलोकन से प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत ने राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1961 के नियम 266 की पालना करते हुए रसीद संख्या 170 द्वारा रूपये 20/– जमा कर पटटा जारी करने का विनिश्चय किया गया है। पट्टे से संबंधित अन्य रिकॉर्ड के अभाव में यह नहीं कहा जा सकता कि ग्राम पंचायत ने उक्त पट्टा जारी करते समय, राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1961 के नियमों की पालना नहीं की हो? ग्राम पंचायत द्वारा उक्त पट्टा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1961 के नियमों की पालना करते हुए विधिनुसार जारी किया जाना प्रतीत होता है, ऐसी स्थिति मे पटटा जैर निगरानी फर्जी अथवा कूटरचित दस्तावेज हो, उपलब्ध अभिलेख से यह पूर्णतया साबित नही होता, ऐसी स्थिति में आदेश जैर निगरानी में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

5– उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से खारिज की जाती है।

6– निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

01/7/24

(चम्पालाल जीनगर)

अपर कलक्टर, नागौर

अपर कलक्टर, नागौर